

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर 15

संशोधित सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

इस कार्यालय के आदेश शिविरा-माध्य/ संस्था/ सी-2/ सेनि/ इति-वाणि/ 31853/ 2020-21 दिनांक 03.01.2020 द्वारा निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष का जिनके नाम के आगे के कॉलम में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति आदेश दिनांक 03.01.2020 को जारी किया गया था, परन्तु निम्न कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान असेनिक सेवाएं (सीसीए-17) विभागीय जांच बकाया होने/निलम्बित होने के कारण से विभागीय जांच बकाया नहीं होने का/सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। चूंकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर से आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/विजांच/सी/11500/(104)/2019/45-46 दिनांक 22.06.2020 द्वारा विभागीय जांच समाप्त (Drop) की गई है। अतः प्रारूप-6 के अनुसार सेवा निवृत्ति/सेवा संतोषजनक आदेश जारी किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	DOB DD/MM/YYYY	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	BHARAT LAL GURJAR	GSSS (212856)AHMEADPUR ALIGANJ / GANGAPUR CITY/ S.MADHOPUR	History	05/06/1960	30/06/2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
वास्तविक सेवानिवृति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।


(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2020-21


दिनांक- 10/07/2020

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 4 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।

सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।

- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर